रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 6 सितम्बर, 1991/15 भाद्रपद, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ख–अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 अगस्त, 1991

संख्या जी0 ए0 बी0 (ए) 4-4/90 (ऊना).—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-3-1991 का अतिक्रम करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला स्तरीय समिति जिला ऊना में अन्त्योदय विकास एवं लोक शिकायत निवारण समिति के क्रम संख्या 6 पर दिए गए गैर-सरकारी सदस्य सुबेदार गुरुवारा सिंह के स्थान पर सुबेदार स्वर्ण सिंह (भूतपूर्व प्रधान गोन्दपुर) को भूतपूर्व सैनिक प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत करने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,

एम0 एस0 मुखर्जी,
मुख्य सचिव ।

2117-राजपत्र/91-6-9-91—1,216.

मूल्य : 1 रुपया

युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला-2, 23 अगस्त, 1991

संख्या वाई0 एस0 एस0-ए0 (3) 4/78.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक वाई0 एस0 एस0-ए0 (3) 4/78, दिनांक 27 मार्च, 1990 के सन्दर्भ में कृपया पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली में ज्येष्ठ जलक्रीड़ा प्रशिक्षक वर्ग-II (राजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम के क्रमांक 11 को अंग्रेजी रूपांतर में निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :—

पूर्व	वर्तमान
By promotion amongst Mountaineering Supervisors with at least five years regular or regular combined with *ad hoc* (rendered upto 31-12-1983) service, if any, in the grade.	By promotion from amongst Water Sports Instructors with at least five years regular or regular combined with *ad hoc* (rendered upto 31-12-1983) service, if any, in the grade.

आदेश द्वारा,

पी0 आई0 सुव्रतन,
आयुक्त एवं सचिव ।

कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट, हमीरपुर

अधिसूचना

हमीरपुर, 22 अगस्त, 1991

संख्या 735/एल0 ए0.—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 299-448/एल0ए0, दिनांक 8 जुलाई, 1991 के क्रम को जारी रखते हुए पैरा 5 में नया क्रमांक 7 निम्नलिखित जोड़ा जाए:—

(7) भारी वाहन नई सड़क पर 11.00 बजे प्रातः से 2 बजे सायं तथा रात 9 बजे सायं से प्रातः 6 बजे तक लोडिंग, अनलोडिंग कर सकेंगे परन्तु सामान ट्रक से सीधा दुकान में ले जाया जाएगा व सड़क पर नहीं रखा जाएगा । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों पर भी सामान उतार व चढ़ा सकेंगे और सामान उतार कर उसी समय वहां से प्रस्थान करेंगे । गाड़ी से माल सीधा दुकान पर जाएगा:—

1. पंजाब नैशनल बैंक हमीरपुर के सामने

2. पी0 के ट्रांसपोर्ट के सामने

हस्ताक्षरित/-
जिला मैजिस्ट्रेट, हमीरपुर ।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी,

कार्यालय आदेश

मण्डी, 28 जून, 1991

क्रमांक एम0 एन0 डी0-डैव0-वि0 स0-1/91-22196-22200.—क्योंकि श्री सोभा राम, प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने श्री भीखम राम, ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी सरोआ से राशन कार्ड बनाने हेतु परिवार रजिस्टर भाग-I, 7-3-1991 को लिया था और दिनांक 6-4-1991 को ग्राम पंचायत की बैठक के दिन जब ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, सरोआ ने श्री सोभा राम, प्रधान, ग्राम पंचायत से परिवार रजिस्टर भाग-I प्राप्त किया तो पाया कि इस रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 175 से 179 तक खाली रजिस्टर के पृष्ठ फाड़ कर परिवार रजिस्टर जो पृष्ठ 89, 97, 106 तथा 114 पर दर्ज थे के स्थान पर अपने हाथ से नये पृष्ठ जोड़ दिए गए और जो निकाले गए पृष्ठ थे उन्हें गुम कर दिया गया। नये जोड़े गए पृष्ठों पर सम्बन्धित परिवारों के सदस्य या तो छोड़ दिए गए या फिर इन परिवारों का विभाजन करके दिखाया गया है;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ, विकास खण्ड गोहर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण श्री सोभा राम, प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ का प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहित में नहीं है।

अतः मैं, राजेश कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं, प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जावे। इनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझ लिया जायेगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते हैं तथा तदानुसार मामले में उचित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

राजेश कुमार,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

मण्डी, 20 अगस्त, 1991

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0-ए0 (5) 49/91.—अतः श्री मिलखी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सोयरा को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत सभानिधि के दुरुपयोग/अपहरण के आरोपों के सम्बन्ध में निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस कार्यालय आदेश संख्या 32943-46, दिनांक 3 जुलाई, 1990 के अधीन जारी किया था;

और क्योंकि श्री मिलखी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सोयरा से प्राप्त उत्तर पर विचार किया गया जो असन्तोषजनक पाया गया;

और क्योंकि ग्राम निवासी सोयरा, विकास खण्ड मण्डी सदर से प्राप्त प्रतिवेदनों में लगाए गए आरोपों की प्रारम्भिक जांच पर श्री मिलखी राम उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सोयरा, विकास खण्ड मण्डी सदर सभानिधि के दुरुपयोग/अपहरण के दोषी पाए गए हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का उप-प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहित में नहीं समझा जाता।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अधीन प्राप्त हैं, श्री मिलखी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सोयरा क उप-प्रधान पद से तत्काल निलम्बित करता हूं और आदेश देता हूं कि वह पंचायत की चल एवं अचल सम्पत्ति यदि कोई उनके पास हो ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंप दें। उन्हें निलम्बित काल में पंचायत एवं इसकी उप-समितियों की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से भी वंचित करता हूं।

मण्डी, 20 अगस्त, 1991

विषय:—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस।

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0-ए0 (5) 74/91.—यतः उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सरकाघाट ने अपने कार्यालय पत्र संख्या 727, दिनांक अगस्त, 1991 के अन्तर्गत यह सूचित किया है कि श्री बलदेव सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत नवाणी, विकास खण्ड गोपालपुर ने श्री भाग सिंह सुपुत्र श्री हरिया राम, निवासी चौकी, इलाका हटली के हित में अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया है, जबकि पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त श्री भाग सिंह राजपूत जाति से सम्बन्ध रखता है ;

और यह कि प्रधान ने उक्त श्री भाग सिंह को अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लाभ देने के लिए यह दुष्कृत्य किया है। इससे स्पष्ट है कि श्री बलदेव सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत नवाणी ने सरकार को धोखा देने का प्रयत्न किया ;

और यह कि उपरोक्त श्री भाग सिंह सुपुत्र श्री हरिया राम को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दे कर उक्त श्री बलदेव सिंह, प्रधान ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। ऐसे व्यक्ति को पंचायत में प्रधान जैसे पद पर रखना जनहित में उचित नहीं समझा गया है।

अतः मैं, एम0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी उन अधिकारों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन प्राप्त हैं, श्री बलदेव सिंह, प्रधान, ग्राम पचायत नवाणी, विकास खण्ड गोपालपुर को आदेश देता हूं कि वह कारण बताएं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उन का उत्तर इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते और आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी।

एस0 के0 जस्टा,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 22 अगस्त, 1991

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5) 66/80.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन ने सूचित किया है कि श्री चरण सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत करसौली न अपना तथा अपने परिवारजनों का नाम

ग्राम पंचायत करसौली के परिवार रजिस्टर से कटवा कर ग्राम पंचायत धोलोवाल में दर्ज करवा लिया है, जिस तथ्य की पुष्टि उपायुक्त, सोलन द्वारा की गई है;

और क्योंकि उक्त श्री चरण सिंह इस कृत्य से ग्राम सभा, करसौली के अब सदस्य नहीं रहे और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9(5) के उपबन्धों के अधीन प्रधान के पद पर बने नहीं रह सकते।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के उपयोग में जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(क) के अधीन जिसे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली के नियम 77 के साथ पढ़ा जाये, के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री चरण सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत करसौली, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन को नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए उनके पद से निष्कासित किया जाये। इस सन्दर्भ में उनका उत्तर इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर-भीतर उपायुक्त, सोलन के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि श्री चरण सिंह अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहते और उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 27 अगस्त, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0(4) 1/82-4.—अधिसूचना संख्या 36-62/72-पंच-मण्डी, दिनांक 7-8-1972 को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन/पुनर्गठन करके उनके लिये निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना सहर्ष आदेशित करते हैं :—

क्रम सं0	विकास खण्ड तथा वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के गांवों के नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा में अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्यावास	कोष्ठ सं0 5 में बनी नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	विकास खण्ड चच्योट (गोहर) :					
1.	वासा	1. वासा 2. चैल 3. ओयरी 4. कड़ाव 5. नेहरा	1. दाण 2. वाहवा	---	--	1. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम दाण तथा वाहवा को ग्राम सभा वासा से अपवर्जित करके वर्तमान ग्राम

1	2	3	4	5	6	7
		6. दांडी 7. बाढ़ 8. बुडेहड़ 9. कढवाण्डी 10. कण्डोल 11. प्याहण 12. डी0 पी0 एफ0 डलोग 13. डी0 पी0 एफ0 तरलाजा 14. डी0 पी0 एफ0 जवरोट 15. डी0 पी0 एफ0 कपाहड़ी 16 दाण 17. वाहवा	---	---	---	सभा गोहर में सम्मिलित किया जाता है। 2. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित शेष गांव ग्राम सभा वासा में ही रहेंगे।
2.	गोहर	1. कांढी टीली 2. काथला 3. देवती 4. करहाती 5. देलथ टिकरी 6. गोहर 7. हरहली 8. फलरोट 9. कोटला बखूला 10. डडोह 11. डी0 पी0 एफ0 थडाधार 12. डी0 पी0 एफ0 मछरोट 13. डी0 पी0 एफ0 शिल्ह च्लोग	---	---	---	ग्राम दाण तथा वाहवा को ग्राम सभा वासा से अपवर्जित करके ग्राम सभा गोहर में सम्मिलित किया जाता है।

शिमला-2, 28 अगस्त, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(4)-1/82-4.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 3(1) (एफ एफ) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, अनुसूची के कोष्ठ संख्या 3 के नीचे अंकित जिला कांगड़ा के राजस्व ग्रामों के उस भाग को जो कोष्ठ संख्या 6 के नीचे अंकित है, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4(1) के प्रयोजन के लिए कोष्ठ संख्या 5 के नीचे अंकित नाम से ग्राम घोषित करने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं.—

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	राजस्व ग्राम का नाम जिसका विभाजन किया जाना प्रस्तावित है —	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम के कुल खसरा नम्बर	कोष्ठ संख्या 3 व 4 में वर्णित गांव/क्षेत्र के विभाजन पर इस अधिसूचना द्वारा रखा नाम	कोष्ठ सं0 5 में वर्णित गांव के खसरा नम्बरान
1	2	3	4	5	6
1.	पंचरुखी	सरालू	1 से 655	1. सरालू आरला 2. सरालू पारला	1 से 476 477 से 655

शिमला-2, 28 अगस्त, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(4) 1/82-4.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4) 16/76-7, दिनांक 28-10-1983 तथा संख्या पी0 सी0 एच0-एच ए0 (4) 16/76-6, दिनांक 29-10-1983 को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त है, जिला कांगड़ा के निम्नलिखित ग्राम क्षेत्रों का विभाजन/पुनर्गठन करके उनके लिये निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना सहर्ष आदेशित करते हैं:—

क्र0 सं0	बिकास खण्ड तथा वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के गावों के नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्यावास	कोष्ठ सं0 5 में बनी नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	1. विकास खण्ड भवारना:					
1.	झरेट	1. झरेट ठाकरां 2. झरेट जगियां 3. भगांली 4. खतीहन 5. बैहल 6. कुरना 7. लजेहड़	1. कुरना 2. लजेहड़	—	—	1. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्रामों को ग्राम सभा झरेट से अपवर्जित करके ग्राम सभा गदयाड़ा में सम्मिलित किया जाता है। 2. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर कोष्ठ सं0 3 में वर्णित शेष गांव ग्राम सभा झरेट में ही रहेंगे।
2.	गदयाड़ा	1. गदयाड़ा 2. टपेहड़ 3. चोम्बू 4. जमूता 5. मकरेहड़	—	—	—	कुरना तथा लजेहड़ ग्रामों को ग्राम सभा झरेट से अपवर्जित करके ग्राम सभा गदयाड़ा में सम्मिलित किया जाता है।
	2. विकास खण्ड पंचरूखी					
1.	मुहाल बनूरी	1. मुहाल बनूरी। 2. टाण्डा पारला।	1. टाण्डा पारला	—	—	1. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम को ग्राम सभा मुहाल बनूरी से अपवर्जित करके वर्तमान ग्राम सभा टाण्डा में सम्मिलित किया जाता है।

1	2	3	4	5	6	7
						2. कोष्ठ सं0 6 में क्रम संख्या 2 पर वर्णित ग्राम सरालू आरला को ग्राम सभा टाण्डा से अपवर्जित करके ग्राम सभा मुहाल बनूरी में सम्मिलित किया जाता है । 3. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम को छोड़ कर कोष्ठ संख्या 3 का शेष ग्राम मुहाल बनूरी ग्राम सभा मुहाल बनूरी में ही रहेगा ।
2.	टाण्डा	1. टाण्डा होल्टा । 2. पन्तेहड़ 3. जन्डेरा 4. सरालू आरला । 5. सरालू पारला ।	1. सरालू आरला	—	—	1. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम सरालू आरला को ग्राम सभा टाण्डा से अपवर्जित करके ग्राम सभा मुहाल बनूरी में सम्मिलित किया जाता है । 2. ग्राम टाण्डा पारला को ग्राम सभा मुहाल बनूरी से अपवर्जित करके ग्राम सभा टाण्डा में सम्मिलित किया जाता है । 3. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम सरालू आरला को छोड़ कर कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित शेष गांव ग्राम सभा टाण्डा में ही रहेंगे ।

नोट.—क्रम0 सं0 4 व 5 पर वर्णित ग्रामों की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4) 1/82-4, दिनांक 28-8-1991 द्वारा घोषित किया गया है ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित